

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221759
CG-DL-E-16092020-221759

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]
No. 452]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 558(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा(6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका में क्रम सं. 1-2 के सामने उल्लेखित व्यक्तियों को दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है:—

तालिका

1.	श्री लक्ष्मीकांत जी. गौडे, अध्यक्ष, गोवा पत्तन एवं डॉक कर्मचारी संघ	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में
2.	श्री अनिल बाबी एकोस्कर, सचिव, मुरगांव पत्तन एवं रेल कर्मचारी संघ	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में

2. उपर्युक्त नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/8/2019-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2020

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against number 1-2 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust for the period up to 31.03.2022:-

TABLE

1.	Shri Laxmikant G. Gaude, President, Goa Port & Dock Employees' Union	Representing labour employed at the Port
2.	Shri Anil Babi Ekoskar, Secretary, Mormugao Port & Railway Workers Union	Representing labour employed at the Port

2. The aforesaid appointments shall come into force with immediate effect.

[F.No. LB-11013/8/2019-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.